भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.ईसीआई/प्रेसनोट/64/2018 दिनांक : 20 सितंबर, 2018

प्रेस नोट

विषय : संबंधित विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद हेतु तीन उप निर्वाचन और महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए एक उप-निर्वाचन – शुद्धिपत्र – तत्संबंधी।

आयोग ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 के अपने प्रेस नोट सं.ईसीआई/प्रेसनोट/60/2018 के द्वारा विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए तीन उप-निर्वाचन तथा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए एक उप-निर्वाचन आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी।

नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख अर्थात् 22 सितंबर, 2018 (शनिवार) महीने का चौथा शनिवार है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20.08.2015 की अधिसूचना के अनुसार पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अनुसार एक 'सावर्जनिक अवकाश' है, अत: आयोग ने कार्यक्रम में उचित रूप से संशोधन किया है और नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख को बदल कर अगला कार्य दिवस अर्थात् 24 सितंबर, 2018 (सोमवार) कर दिया है। परिणामस्वरूप, संवीक्षा की तारीख, अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख तद्नुसार इस प्रकार परिवर्तित कर दी गयी हैं:

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	दिन एवं तारीख
1.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	24 सितंबर, 2018 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन की संवीक्षा	25 सितंबर, 2018 (मंगलवार)
3.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	27 सितंबर, 2018 (गुरूवार)
4.	मतदान की तारीख	4 अक्तूबर, 2018 (गुरूवार)
5.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
6.	मतगणना	4 अक्तूबर, 2018 (गुरूवार) अपराह्न 5.00 बजे से
7.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	6 अक्तूबर, 2018 (शनिवार)

(पवन दीवान)
अवर सचिव